

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-17/2014- 172 (आवंटन)/कृ0, पटना, दिनांक 28-11-2014

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अन्तानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1326.72 लाख रुपये (तेरह करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹13,26,72,000 (तेरह करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-रांकृ०वि०यो०को०-03/2014-5135, दिनांक-20.11.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अन्तानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1326.72 लाख रुपये (तेरह करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹13,26,72,000 (तेरह करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹13,26,72,000 (तेरह करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष- 0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.) विपत्र कोड-P2401007890203, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष, 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2)दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभा

विश्वासभाजन,

(153/28/11/14)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

Website पर प्रकाशित
29/11


ज्ञापांक

172 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 28-11-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक


172 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 28-11-2014

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/
निदेशक उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, (पी०पी०एम०)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी
मिशन/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि वि०वि०,
सबौर भागलपुर/नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग/संबंधित परियोजन निदेशक,
आत्मा/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण/उप कृषि निदेशक
केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि
पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. : उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार,
पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

